प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

सेवा में,

समस्त, प्रधानाचार्य/प्राचार्य,
जनपद–चन्दौली।

पत्रांक– 193 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2022–23 दिनांक–14 सितम्बर, 2022

विषय– विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1719 दिनांक–13 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग कराया जाना अनिवार्य है तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना न रहे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थानों के समस्त छात्रों का बैंक खातों को आधार सीडिंग कराने तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–आधार सीडिंग से सम्बन्धित जानकारी।

(रत्नेश सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

पृष्ठांकन संख्या– /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
3– मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
4– उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सभी विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

सेवा में,

समस्त, प्रधानाचार्य/प्राचार्य,
जनपद–चन्दौली।

पत्रांक– /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2022–23 दिनांक–15 सितम्बर, 2022

विषय– **विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1719 दिनांक–13 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग कराया जाना अनिवार्य है तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना न रहे।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थानों के समस्त छात्रों का बैंक खातों को आधार सीडिंग कराने तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–आधार सीडिंग से सम्बन्धित जानकारी।

(रत्नेश सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

पृष्ठांकन संख्या– 193 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
3– मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
4– उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सभी विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
चन्दौली।

Scanned with CamScanner

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश
10वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या- 1719 /पि.व.क./2022-23 लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2022

1- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0।

2- समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विभागीय योजनाओं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु दिये गये बैंक खातों को आधार सीडिंग (Aadhar Seeding) कराया जाना अनिवार्य है तथा उक्त बैंक खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) मे मैपिंग भी कराया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना न रहे।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न आधार सीडिंग से सम्बन्धित जानकारी को अपने स्तर से जनपद में सभी शिक्षण संस्थानों, सभी बैंकों तथा निरन्तर समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक - यथोक्त।

13.9.2022
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या: 1719 /पि0व0क0/2022-23 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

13.9.2022
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

Scanned with CamScanner

Note on Aadaar rejections and Aadhar seeding/de-seeding process

We herewith provide a brief note on rejection of transactions for the reason Aadhar being in inactive state in NPCI mapper. The reason code is 95 and the description is Aadhar number de-seeded from NPCI mapper by bank- Customer to contact his/her bank.

As per the process if for some reason the bank that has seeded the Aadhar number is not able to service the account to credit the benefits then such bank will deseed the Aadhar number from NPCI mapper. When a bank deseeds the Aadhar number from mapper that record will be marked as inactive in the mapper. The possible reasons for deseeding are provided below.

Reasons of de-seeding:

i. Account closed
ii. Account holder expired
iii. Customer insolvent/Account holder became insane
iv. Account under litigation
v. Account blocked or frozen due to KYC etc
vi. Name mismatch during audit
vii. If the beneficiary is not eligible to receive payment in the account linked in CBS for this Aadhar

When the sponsor bank uploads the DBT transaction the system first verifies whether Aadhar is available in the mapper, if yes, whether it is in active state. In cases Aadhar is deactivated by the bank for any reason or the Aadhar number is not yet seeded in Mapper by any bank, then transactions pertaining to such Aadhar number will be rejected by the system with the above cited reason. In the acknowledgement file and the response file the rejected transactions come to the sponsor bank with appropriate reject reasons. Department can get these records from the sponsor bank for their consumption and action.

Action to be taken for rectification:

1. The department should reach out to the beneficiary and inform them to get the Aadhar number seeded again with the bank.
2. As per the process the beneficiary should provide seeding request along with necessary document as may be prescribed to their bank.
3. Bank after scrutinizing the document, if found in order, will send the seeding request to NPCI.
4. Bank will get the response (positive or negative) from NPCI for the seeding request. In case of positive response bank will communicate to the beneficiary through SMS of completion of seeding. In case of negative response banks should communicate to the beneficiary about the failure and the reasons thereof.
5. The beneficiary can verify his seeding request status either through UIDAI web site or micro ATM (AePS – currently offered by 30 banks).
6. After seeding request is completed the department can initiate the transactions for crediting DBT.

NPCI has provided look up facility to the departments for verification of Aadhar seeding status. The departments can run the look up for the Aadhar numbers to find out the status. In order to

Scanned with CamScanner

avoid rejection of transactions the department should initiate the transaction only if the Aadhar number is in active state in mapper. Through this process the department can proactively reach out to the beneficiaries, whose Aadhar number is deactivated, for activation.

Aadhaar seeding process in NPCI mapper:

There are two steps involved in Aadhar seeding process:

A. Linking the Aadhar number to the account in core banking (after due verification of the documents and KYC as per the internal policies of the bank)
B. Updating the Aadhar number in NPCI mapper (based on the informed consent of the customer as per the format issued by IBA).

The Aadhar seeding process will not be completed unless both the above steps 'A' and 'B' are completed.

- Customer informed consent as per prescribed format mandatory for Aadhaar seeding
- **Previous bank name to which the Aadhar is currently seeded should be mentioned in the consent form and input file of Aadhar seeding in NPCI mapper and movement of seeding from one bank to the other.**
- Re-seeding: If a customer whose Aadhar number is de-seeded from NPCI mapper and showing inactive he/she should approach the same bank again for seeding his Aadhar number, the bank should have the provision for such reseeding.
- **Banks are advised to check the rejections while uploading mapper file and take corrective action**

Aadhar de-seeding process in NPCI mapper:

The bank who has seeded the Aadhar in NPCI mapper may de-seed the same from the mapper for following reasons:

Reasons of de-seeding:

i. Account closed
ii. Account holder expired
iii. Customer insolvent/Account holder became insane
iv. Account under litigation
v. Account blocked or frozen due to KYC etc
vi. Name mismatch during audit
vii. If the beneficiary is not eligible to receive payment in the account linked in CBS for this Aadhar

Scanned with CamScanner

Mapper process flow

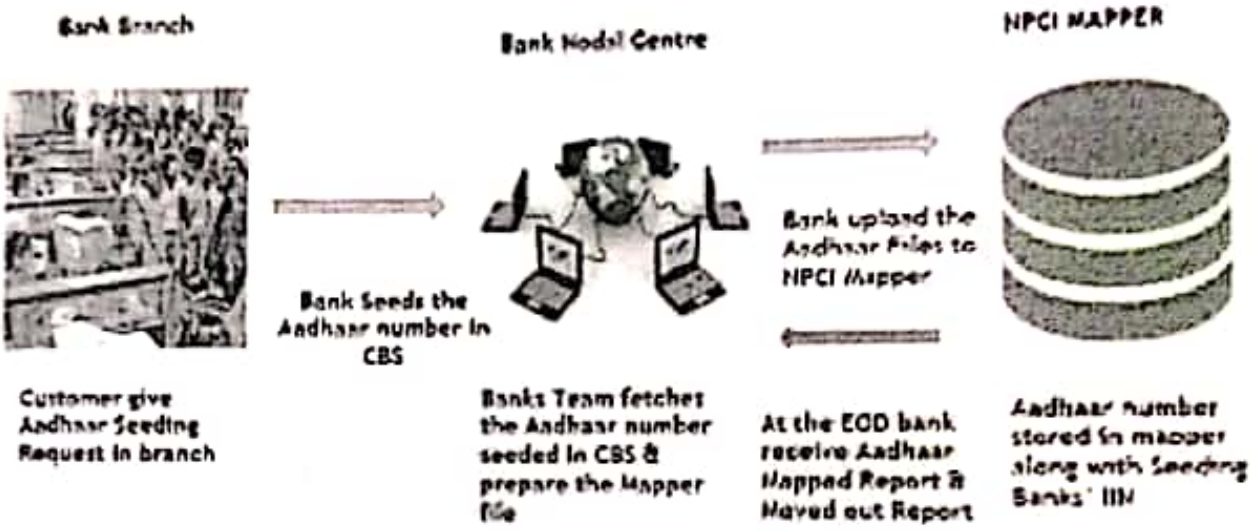

Scanned with CamScanner